



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक :-एफ.28(14)पंरावि/प्रशा-2/ग्राविअ/स्थाना.-पद/2021/2050

जयपुर,दिनांक:-

08/09/2021

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद- सीकर, ।

विषय :- ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) के स्थानान्तरण/पदस्थापन बाबत।

निर्देशानुसार निम्न ग्राम विकास अधिकारियों (ग्राम सेवक) के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश उनकी संस्थापन संबंधी सूचना से मिलान कर, नियमानुसार जारी करते हुए, विभाग को अवगत करावें :-

क्र.स	नाम	कहाँ से	कहाँ को
1	श्री देवेन्द्र कुमार जांगिड	ग्राम पंचायत पलसाना, जिला सीकर	पंचायत समिति पाटन, जिला सीकर
2	श्री छित्तरमल यादव	रेवासा, जिला सीकर	ग्राम पंचायत पलसाना, जिला सीकर

- 1- उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन कार्मिक के सही नाम एवं पदनाम से है ।
- 2- यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- 3- यदि किसी कार्मिक की परिविक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- 4- यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण किसी अन्य कार्मिक के स्थान पर किया जा रहा है, तो प्रभावित कार्मिक को अन्य निकटतम पंचायत समिति में पदस्थापित किया जावे ।
- 5- यदि कोई ग्राम विकास अधिकारी निलंबित चल रहा है तो उसका स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किये जावें ।
- 6- उक्त सूची में यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन नवगठित पंचायत समिति में करने के निर्देश दिये गये हैं, परन्तु नवगठित पंचायत समिति के प्रधान/पंचायत समिति सदस्य के चुनाव सम्पन्न नहीं हुए हैं तो उसके स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किये जावें ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

(विजय पाल सिंह-11)

अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त सचिव (प्रथम)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर ।
- 2-निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर
- 3-निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
- 4-निजी सचिव, संयुक्त सचिव(जीबी), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर ।
- 5-अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित ।
- 6-एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
- 7-आदेश पत्रावली ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त सचिव (प्रथम)